

राजस्थान सरकार
राजस्व गृह-6 विभाग

क्रमांक: ध. ९४२२३ राजस्व/०२ घाट/५

बदल दिनांक २५.३.०३

तमस्ति जिला कलेक्टर्स

राजस्थान।

(3)

परिचय

जिला कलेक्टर जयपुर ने राज्य सरकार से यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि राजस्थान भू-राजस्व सिनेमा, होटल एवं पेट्रोलियम संशोधित करने हेतु कृषि भूमि का आवंटन नियमन एवं स्पा-न्तरण नियम १९७८ के तहत सिनेमा हेतु पूर्व में जारी लीज डीड का नवीनीकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा ९० बी के संबोधन उपरान्त अब जिला कलेक्टर द्वारा किया जावे अवशा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा/उक्त संबोध में विधि विभाग की द्वाय के अनुसार निवेश नुसार स्पष्ट किया जाता है कि इहाँ विभाग के राजस्थान भू-राजस्व सिनेमा, होटल एवं पेट्रोलियम संशोधित करने हेतु कृषि भूमि का आवंटन, नियमन एवं स्पा-न्तरण नियम १९७९ के तहत जारी लीज डीड का नवीनीकरण राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा किया जावेगा। अतः उक्त नियमों के तहत लीज डीड का नवीनीकरण जिला स्कॉर से न किया जा कर, नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजायें जावे।

उप शासन सचिव

- प्रक्रियालयः निम्नलिखित को सुधार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रयोग है :-
१. विधिष्ठ सहायक, मा. उपमुख्यमंत्री जी राजस्व राज्य जयपुर।
 २. उपरान्त सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
 ३. तमस्ति सम्पर्कीय अधिकारी, राजस्थान।
 ४. निवेश नियमीय विभाग, राजस्व विभाग, राजस्व जयपुर।

शासक उप सचिव राजस्व